Notification No. 51/2018 – State Tax

S.O. No. 65 Dated 26th September, 2018:— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Jharkhand hereby appoints the 1st day of October, 2018, as the date on which the provisions of section 52 of the said Act shall come into force.
वाणिज्य-कर विभाग

--------

अधिसूचना
26 सितंबर, 2018

अधिसूचना सं. 51/2018- राज्य कर

एस. ओ. सं. 65 - दिनांक 26 सितंबर, 2018 -- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्तूबर, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 52 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[सं.सं .वाकर/जी०एस०टी०/03/2018]
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के.के. खेन्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव

--------